प्रारूप – (ड)

{नियम 7(2) देखिये}

अनुशंसा

रा0प्र0क0 20260828030010 6/3F-62/2025-26

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ0ग0)

विषय :– वृक्ष काटने हेतु अनुशंसा

—:::000:::—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ0ग0) के पत्र क्रमांक–पुअ/रनि/गौपेम/787/2026 दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से ग्राम अमरपुर पुलिस लाईन के पास स्थित पेट्रोल पंप के लिए आबंटित भूमि में स्थित आम झाड़ 03नग, खजूर पेड़ 07 नग, जामुन पेड़ 01 नग, कशी पेड़ 01 नग एवं नीम पेड़ का डगाल, बरगद पेड़ का डगाल कटाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

राजस्व निरीक्षक पेण्ड्रा एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी पेण्ड्रा से उक्त वृक्षों को काटे जाने के संबंध में प्रतिवेदन मंगाई गई, राजस्व निरीक्षक एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि ग्राम अमरपुर में पेट्रोल पंप के लिए आबंटित भूमि पर स्थित आम झाड़ 03नग, खजूर पेड़ 07 नग, जामुन पेड़ 02 नग, कशी पेड़ 01 नग एवं नीम पेड़ का डगाल, बरगद पेड़ का डगाल कटाई करने पर संहिता की किन्ही उपबंधो का उल्लघंन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

यह अनुशंसा जारी दिनांक से 01 कैलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पेण्ड्रारोड
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ /अ.वि.अ./री–01/2026 पेण्ड्रारोड, दिनांक 21/08/26
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी, गौरेला वनमण्डल मरवाही को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार पेण्ड्रा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन कराने हेतु।
4. पटवारी ह0नं0 07 ग्राम अमरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पेण्ड्रारोड
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)